रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1378] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 30, 2015/आषाढ़ 9, 1937
No. 1378] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 2015/ASADHA 9, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2015

का.आ. 1749(अ).—यत:, मै. महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड, जो राजस्थान राज्य में एक निजी संगठन है, ने राजस्थान राज्य के गाँव कलवारा एवं नेवता, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यत:, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्याओं का.आ. 546(अ) दिनांक 10 अप्रैल, 2007 एवं द्वारा का.आ. 741(अ) दिनांक 27 मार्च, 2008 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 76.10 हेक्टेयर एवं 78.92 हेक्टेयर क्षेत्रों को अधिसूचित कर दिया था;

और यत:, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2144(अ) दिनांक 09 जुलाई, 2013 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 1.436 हेक्टेयर क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और यत;, मै. महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन में से 6.173 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यत;, राजस्थान सरकार ने उनके दिनांक 12 फरवरी, 2014 के पत्र सं. 5(34)इन्डस्ट्रीज/आई/2000-भाग के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है;

और यत:, विकास आयुक्त, नोयडा विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 6.173 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव को संस्तुति की है;

और यत:, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संम्बधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अत: अब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा उक्त विशेष आर्थिक जोन में 6.173 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन में से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणत: कुल क्षेत्र 150.283 हेक्टेयर हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल है, अर्थात्:-

तालिका

क्रम संख्या	**ग्राम**	**सर्वेक्षण संख्या**	**क्षेत्रफल हेक्टेयर में**
1	**कालवाड़**	565	1.2430
2		631	0.0190
3		632	0.0350
4		582	0.4600
5		822	3.1100
6		828	0.0800
7	**नेवता**	132	1.2260
कुल			**6.173 हेक्टेयर**
उपर्युक्त अनधिसूचना के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			**150.283 हेक्टेयर**

[फा. सं. एफ. 2/135/2005-एसईजेड]

डॉ. गुरूप्रसाद महापात्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2015

S.O. 1749(E).—Whereas, M/s. Mahindra World City (Jaipur) Limited, a Private Organization of the State of Rajasthan, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at Village Kalwara, Newta Tehsil Sanganer, District Jaipur in the State of Rajasthan;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 76.10 hectares and 78.92 hectares at above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Numbers S.O. 546(E) dated 10th April, 2007 and S.O 741 (E) dated 27th March, 2008;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 1.436 hectares at above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 2144(E) dated 09th July, 2013;

And, whereas, M/s. Mahindra World City (Jaipur) has now proposed for de-notification of 6.173 hectares at the above Special Economic Zone;

And, whereas, the State Government of Rajasthan has given its "No Objection" to the proposal vide letter No.5 (34) Industries/I/2000-part dated 12th February, 2014;

And, whereas, the Development Commissioner, Noida Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 6.173 hectares of the Special Economic Zone;

Now, whereas, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby **de-notifies an area of 6.173 hectares**, thereby making resultant area as **150.283 hectares**, comprising the survey numbers and the area given below in the table, namely:-

TABLE

S.No.	Name of the Village	Survey No.	Area to de-notified (in Hectares)
1	Kalwara	565	1.2430
2		631	0.0190
3		632	0.0350
4		582	0.4600
5		822	3.1100
6		828	0.0800
7	Nevta	132	1.2260
Total			**6.173 hectares**
Total Area of SEZ after above de-notification			**150.283 hectares**

[F. No. F. 2/135/2005-SEZ]

Dr. GURUPRASAD MOHAPATRA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.